न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 108/2012(जी.सी.एम.एस. 2012/00105)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरमेल सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।	1. हाकम सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. नसीब कौर पत्नी हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. परमजीत कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. मनदीप कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 1/4. छिन्द्रपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 1/5. जसमीत कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एस जी एम कमरानीया तहसील अनुपगढ। 1/6. वकील सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2. जंग सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1. परमजीत कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2/2. अमरजीत सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2/3. गुरदेव कौर पत्नी जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 3. सुखदेव सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरदेव कौर पत्नी बक्शीश सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 5. छिन्द्र कौर पत्नी हरजीत सिंह पुत्री बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 25 ए पी डी तहसील अनुपगढ। 6. परमजीत कौर पत्नी मेजर सिंह पुत्री बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी खिचियां तहसील रायसिंहनगर। 7. राजपाल कौर पत्नी कुलवन्त सिंह पुत्री बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी खिचियां तहसील रायसिंहनगर। 8. वीरपाल कौर पत्नी बलकार सिंह पुत्री बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील अनुपगढ। 9. लखवीर कौर पत्नी शेर सिंह पुत्री बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 10. कुलदीप कौर पत्नी सलिन्द्र पुत्री बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी खिचियां तहसील रायसिंहनगर। 11. अमरजीत सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 12. जरनैल कौर पत्नी मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 13. सुखपाल सिंह पुत्र मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 14. रानी पत्नी बिन्द्र सिंह पुत्री मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील श्रीगंगानगर। 15. सुखो पत्नी सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुखा पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एस.जे.एम ढाणी तहसील श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	16. किन्दो पत्नी हरविन्द्र सिंह पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एस.जे.एम. ढाणी तहसील श्रीगंगानगर। 17. गुरमीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 18. गुरप्रीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:– 19.09.2012

उपस्थित:1.श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता वादी
2.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,12 ता 16
3.श्री रमेश चन्द गुप्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 11
4.श्री बलवीर सिंह प्रतिवादी संख्या 17,18

––निर्णय––

दिनांक: 05.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का पिता दमन सिंह एंव वादी की माता राजकौर फौत हो चुके है, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी के सगे भाई है। वादी के एक अन्य भाई बख्शीश सिंह था। जो फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 मृतक बख्शीश सिंह के जायज वारिसान है। इसी प्रकार वादी के एक अन्य भाई मलकीयत सिंह था वो भी फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 मृतक मलकीयत सिंह के जायज वारिसान हैं। वादी का एक अन्य भाई हरनेक सिंह भी था। वो भी फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 17, 18 मृतक हरनेक सिंह के जायज वारिसान है। राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 18/14 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से वादी 0.395 हैक्टेयर भूमि का खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी की माता राजकौर के नाम उक्त भूमि में से 0.395 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कानूनन हिन्दू निंवसीयत स्त्री के फौत हो जाने के पश्चात उसके नाम दर्ज आराजी में ऐसी स्त्री के तमाम वारिसान बहिस्सा बराबर हिस्सा पाने के अधिकारी होते है। वादी अपनी माता राजकौर की आराजी 0.395 हैक्टेयर भूमि में से अन्य प्रतिवादीगण के साथ 1/7 हिस्सा पाने का हकदार है। इस प्रकार वादी स्वंय की 0.395 हैक्टेयर व माता राजकौर से 0.056 हैक्टेयर भूमि विरास्तन प्राप्त कुल 0.451 हैक्टेयर भूमि का मालिक व काबिज है। वादी का अन्य प्रतिवादीगण के साथ उक्त घरू बंटवारा हो गया था। बंटवारानुसार वादी को चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 के 15 बिस्वा, किला नम्बर 12 सालम, कुल 0.451 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादी उक्त भूमि पर शुरू से आज तक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 30.08.2012 को मृतका राजकौर की 0.395 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा हिस्सानुसार करके भूमि अपने-अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर खाता तकसीम करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 18/14 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से मृतक राजकौर के नाम दर्ज 0.395 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित आए व जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 12 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए व प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 12 ता 16 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए गए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वर्ष 1970 में दमन सिंह के जीवनकाल में दमन सिंह ने अपनी तमाम कृषि भूमि का घरू तौर पर मौखिक बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारा में चक

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

33 एफ के मुरब्बा नम्बर 47 के 25 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हाकम सिंह व उसके भाई मलकीत सिंह के हिस्सा में आई थी। तभी से लेकर आज तक हाकम सिंह व मलकीत सिंह का परिवार उक्त रकबा में ढाणी बनाकर काबिज चले आ रहे है। उक्त बंटवारानामा में चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6, 11 ता 20 प्रतिवादी संख्या 2 जंग सिंह पुत्र दमन सिंह के हिस्सा में आए है तथा चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 16, 24, 25 का रकबा हमारी माता/दादी राजकौर पत्नी दमन सिंह को दिया गया था। बंटवारानामा में यह भी दर्ज किया गया था। कि राजकौर की मृत्यू के पश्चात राजकौर के हिस्सा की भूमि में मलकीत सिंह, हाकम सिंह, हरनेक सिंह, सुखदेव सिंह हकदार होगें। बाकी के हकदार नहीं होगे। इस प्रकार वादी गुरमेल सिंह राजकौर की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। दमन सिंह की मृत्यू के पश्चात तमाम भूमि संबधी कार्यवाही गुरमेल सिंह की करता था। इस कारण उक्त असल घरू बंटवारानामा भी गुरमेल सिंह के पास था। उक्त घरू बंटवारानामा का गुरमेल सिंह को भली-भांति ज्ञान था। गुरमेल सिंह ने माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त घरू बंटवारानामा का तथ्य छिपाते हुए यह दावा पेश किया गया है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निरस्त फरमाया जाकर प्रवितादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 जंग सिंह को चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6, 11 ता 20 का खातेदार घोषित किया जावे। वादी गुरमेल सिंह, प्रतिवादीगण सुखदेव सिंह, लखवीर कौर, सतपाल सिंह, वकील सिंह, छिन्द्रपाल सिंह, गुरमीत कौर, गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरविन्द्र सिंह, अमरजीत सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर समझौतापत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह उपस्थित आए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की मृत्यू होने पर वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी चक 32 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 18/14 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर6 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.215 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/2 की 0.101 हैक्टेयर कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से 0.395 हैक्टेयर नहरी व मृतक राजकौर की 0.395 हैक्टेयर भूमि में से 1/7 हिस्सा यानि 0.056 हैक्टेयर कुल 0.451 हैक्टेयर रकबा प्राप्त करने का अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

(ii) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6, 11 ता 20 का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1/1 ता1/6,2/1ता 2/3,-

(iii) आया कि क्या मृतक राजकौर के नाम दर्ज उक्त 0.395 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 17, 18 जो मृतक हरनेक सिंह के वारिस है, 1/7 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 17, 18-

(iv)अनुतोष।

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 18/14 की छायाप्रति पेश की गई है। स्वंय वादी गुरमेल सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 23/18 की प्रति, प्रदर्श-2 राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 17 की प्रति, प्रदर्शित करवाई। स्वंय प्रतिवादीगण छिन्द्रपाल सिंह, वकील सिंह, अमरजीत सिंह, सतपाल सिंह का साक्ष्य शपथपत्र,

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील वादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या वादी चक 32 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 18/14 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर6 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.215 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/2 की 0.101 हैक्टेयर कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से 0.395 हैक्टेयर नहरी व मृतक राजकौर की 0.395 हैक्टेयर भूमि में से 1/7 हिस्सा यानि 0.056 हैक्टेयर कुल 0.451 हैक्टेयर रकबा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा अपने वादपत्र मे कथन किया है कि वादी का अन्य प्रतिवादीगण के साथ उक्त घरू बंटवारा हो गया था। बंटवारानुसार वादी को चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 के 15 बिस्वा, किला नम्बर 12 सालम, कुल 0.451 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादी उक्त भूमि पर शुरू से आज तक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु वादी के द्वारा पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ऐसा कोई बंटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती हो। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6, 11 ता 20 का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3 की थी। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा काउन्टर क्लेम में वर्णित किया है कि वर्ष 1970 में दमन सिंह के जीवनकाल में दमन सिंह ने अपनी तमाम कृषि भूमि का घरू तौर पर मौखिक बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारा में चक 33 एफ के मुरब्बा नम्बर 47 के 25 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हाकम सिंह व उसके भाई मलकीत सिंह के हिस्सा में आई थी। तभी से लेकर आज तक हाकम सिंह व मलकीत सिंह का परिवार उक्त रकबा में ढाणी बनाकर काबिज चले आ रहे है। उक्त बंटवारानामा में चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6, 11 ता 20 प्रतिवादी संख्या 2 जंग सिंह पुत्र दमन सिंह के हिस्सा में आए है तथा चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 16, 24, 25 का रकबा हमारी माता/दादी राजकौर पत्नी दमन सिंह को दिया गया था। बंटवारानामा में यह भी दर्ज किया गया था। कि राजकौर की मृत्यू के पश्चात राजकौर के हिस्सा की भूमि में मलकीत सिंह, हाकम सिंह, हरनेक सिंह, सुखदेव सिंह हकदार होगें। बाकी के हकदार नहीं होगे। इस प्रकार वादी गुरमेल सिंह राजकौर की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 जंग सिंह को चक 32 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6, 11 ता 20 का खातेदार घोषित किया जावे। परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ऐसा कोई वर्ष 1970 का बंटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्व होती हो। अतः प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3 इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3 निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या मृतक राजकौर के नाम दर्ज उक्त 0.395 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 17, 18 जो मृतक हरनेक सिंह के वारिस है, 1/7 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 17, 18 की थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 17, 18 के द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की है। अतः प्रतिवादी संख्या 17, 18 इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 17, 18 निर्णीत की जाती है।

(iv) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी व तनकी संख्या 2 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3 तथा तनकी संख्या 3 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 17, 18 निर्णीत की जा चुकी है तथा प्रकरण संख्या 58/2022, अनवान गुरमेल सिंह बनाम अमरजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए में वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी पेश नहीं की है। अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3, 17, 18 को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53, 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, प्रकरण संख्या 58/2022, अनवान गुरमेल सिंह बनाम अमरजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3, 17, 18 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 22/2022, अनवान गुरमेल सिंह बनाम अमरजीत सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए, सिंह में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.04.2022 व प्रकरण संख्या 80/2012, अनवान गुरमेल सिंह बनाम हाकम सिंह में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.09.2012 भी निरस्त की जाती है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरमेल सिंह बनाम हाकम सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 183 आरटीए मुकदमा नम्बर 108/2012

निर्णय दिनांक :-05.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, श्री रमेश चन्द गुप्ता, बलवीर सिंह** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53, 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, प्रकरण संख्या 58/2022, अनवान गुरमेल सिंह बनाम अमरजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6, व 2/1 ता 2/3, 17, 18 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 22/2022, अनवान गुरमेल सिंह बनाम अमरजीत सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए, सिंह में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.04.2022 व प्रकरण संख्या 80/2012, अनवान गुरमेल सिंह बनाम हाकम सिंह में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.09.2012 भी निरस्त की जाती है।

आज दिनांक 05.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	04	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**10**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)